जब समय का तमाचा पड़ता है तो कोई फकीर तो कोई बदशाह बन जाता है।
– अज्ञात

आरबीआई का नरम रुख

आरबीआई ने इसे बहुत अनिश्चित बताते हुए कहा कि भविष्य में खुदरा महंगाई का अनुमान खाद्य महंगाई, कच्चे तेल की कीमत और सेवाओं के लिए इनपुट लागत के आधार पर लगाया जाएगा।

आनंद यादव।

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने साल की पहली मौद्रिक नीति में मुख्य ब्याज दर रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया है। तमाम बैंक इसी दर पर आरबीआई से कर्ज उठाते हैं और यह 5.15 फीसदी पर ही स्थिर रहेगी। ऐसे में कर्ज लेने वालों को भारत के केंद्रीय बैंक की तरफ से कोई राहत नहीं मिलने जा रही है, हालांकि इसे भी आरबीआई का नरम रुख माना जा रहा है।

बढ़ती हुई मुद्रास्फीति को देखते हुए विश्लेषकों को लग रहा था कि 2019 में रेपो रेट में रिकॉर्ड पांच बार कटौती करने के बाद रिजर्व बैंक नए साल की शुरुआत ब्याज में सख्ती के साथ कर सकता है। अनुमान था कि 2020–21 में उसे बढ़े राजकोषीय घाटे का दबाव झेलना पड़ेगा इसलिए रेपो रेट बढ़ाना उसके लिए अधिक स्वाभाविक है। सरकार ने चालू वित्त वर्ष के लिए राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को बढ़ाकर जीडीपी का 3.8 फीसदी कर दिया है। पहले इसे 3.3 प्रतिशत रखा गया था।

रिजर्व बैंक का कहना है कि वृद्धि दर की तुलना में मुद्रास्फीति की तेज रफ्तार को देखते हुए उसने रेपो रेट में कटौती न करने का फैसला किया। कच्चे तेल की कीमतों में उतार–चढ़ाव के बीच दूध और दालों की कीमत में बढ़ोतरी के कारण जनवरी–मार्च तिमाही के लिए खुदरा महंगाई का अनुमान बढ़ाकर 6.5 फीसदी कर दिया गया है। आरबीआई ने इसे बहुत अनिश्चित बताते हुए कहा कि भविष्य में खुदरा महंगाई का अनुमान खाद्य महंगाई, कच्चे तेल की कीमत और सेवाओं के लिए इनपुट लागत के आधार पर लगाया जाएगा। वैसे उसने माना कि रबी फसलों के बाजार में आने से खाद्य महंगाई की दर दिसंबर में दर्ज उच्च स्तर से नीचे आएगी।

आरबीआई ने अनुमान जाहिर किया कि कारोबारी साल 2020–21 में मॉनसून सामान्य रहेगा, जिससे अगले कारोबारी साल की पहली छमाही में खुदरा महंगाई दर घटकर 5.0–5.4 फीसदी पर और अगले कारोबारी साल की तीसरी तिमाही (अक्टूबर–दिसंबर 2020) में और घटकर 3.2 फीसदी पर आ सकती है। बैंक का अनुमान है कि वित्त वर्ष 2020–21 में देश की जीडीपी ग्रोथ छह फीसदी रहेगी, जबकि उसके पहले छह महीने में वृद्धि दर 5.5 फीसदी से छह फीसदी रहने का अनुमान है।

आरबीआई के मुताबिक वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में वृद्धि दर 6.2 फीसदी रह सकती है। मौद्रिक नीति में कमर्शल रीयल्टी लोन लेने वालों के लिए बड़ा निर्णय किया गया है। उचित कारणों से हुई देरी पर अब लोन डाउनग्रेड नहीं होगा। यानी अगर कोई डिवेलपर किसी वजह से कर्ज समय पर नहीं चुका पाता है तो उसके कर्ज को एक साल तक एनपीए घोषित नहीं किया जाएगा। रीयल्टी सेक्टर को इससे काफी राहत मिली है और कारोबारी जगत ने भी इस पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दिखाई है। पॉलिसी के ऐलान के बाद शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों निफ्टी और सेंसेक्स में उछाल देखने को मिला। रिजर्व बैंक का रुख चूंकि नरमी का है, इसलिए आगे ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद बनी हुई है।

विश्वास

धर्म-दर्शन

अशोक वोहरा।

ऐसी स्थिति में अपने आदर्शों पर डटे रहना और विश्वास बनाए रखना आसान नहीं होता। गांधी एक ऐसे आंदोलन के सूत्रधार बने, जैसा विश्व में पहले कभी नहीं हुआ था। गांधी ने जो तरीका अपनाया, उसे पहले कभी नहीं आजमाया गया था। गांधी का आत्मविश्वास और दृढ़ता इस आंदोलन की सफलता का कारण बनी। अंग्रेजों ने अहिंसा को कायरता कहा तो गांधी का जवाब था, 'अहिंसा ऐसी शक्ति है, जो हर किसी के पास नहीं होती। जब बंदूक की नोक से सामने आप निडर खड़े हो जाते हैं और अहिंसक विरोध कर रहे होते हैं, तो साफ देखा जा सकता है कि कायर कौन है।' उन्होंने उस व्यक्ति को कमजोर माना जिसे अपने आत्मबल से ज़्यादा हथियारों की शक्ति पर विश्वास है और लगता है, हथियारों की शक्ति के बिना जीतना संभव नहीं।

संपादकीय

फेल हुई योजनाएं

विकास को लेकर वर्तमान सरकार नई और बड़ी लकीर खींचने का दावा लगातार कर रही है, लेकिन उन दावों पर सवाल खड़े करने वाले नए–नए तथ्य भी सामने आते जा रहे हैं। ये तथ्य गैरसरकारी ही नहीं, सरकारी स्रोतों से भी आ रहे हैं। हाल ही नीति आयोग ने सतत विकास लक्ष्य की 2019 की प्रगति रिपोर्ट जारी की है जिससे पता चलता है कि देश के 25 राज्यों–केंद्र शासित प्रदेशों में गरीबी, भुखमरी और असमानता बढ़ गई है। यह बात इस वजह से भी हैरान करने वाली है कि इसके पहले 2005–06 से 2015–16 के दस वर्षों में गरीबों की संख्या में गिरावट आई थी।

साफ है, विकास के दावे इस हकीकत को नहीं बदल सकते कि आर्थिक विषमता के मोर्चे पर स्थिति में कोई सुधार नहीं हो रहा। भले फोर्ब्स सूची में भारतीय अमीरों की संख्या बढ़ी है, पर सब कुछ एकतरफा है। एक समय देश की राजनीति में आर्थिक विषमता को लेकर जो बहस होती थी, उसे 1990 के बाद से ही कूड़ेदान में डाल दिया गया। देश के हर मुख्यमंत्री की जुबान पर अब ग्रोथ की बात रहती है। हालांकि मजबूत राजनीतिक स्थिरता और राष्ट्रवादी नेतृत्व होने के बावजूद देश में पेट न भर पाने वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है। गौर करने की बात है कि तेज आर्थिक वृद्धि दर के दौर में पूंजीपतियों ने तो काफी तरक्की की, लेकिन एक बड़ा तबका पिछड़ता चला गया। ऐसा नहीं है कि हमने भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सामाजिक योजनाएं नहीं बनाई हैं। वर्ष 2013 में खाद्य सुरक्षा कानून बनाया गया। लेकिन, तमाम प्रयासों के बावजूद ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट भारत के दावों को खारिज करती है। दरअसल, भुखमरी की समस्या आर्थिक असमानता से जुड़ी हुई है।

नागरिकों में सैनिकों के प्रति सम्मान और संवेदना बढ़ाने के लिए तमाम कोशिशें की जा रही हैं। सेना में शीर्ष स्तर से ढांचागत सुधारों की शुरुआत कर दी गई है।

गुनहगारों को फांसी कब होगी?

राजेश चौधरी।

पूरे देश की नजरें आज निर्भया केस पर टिकी हैं। हर कोई जानना चाहता है कि गुनहगारों को फांसी कब होगी? जिस तरह से उनकी सजा बार–बार टल रही है, उससे लोगों के मन में कई तरह की आशंकाएं पैदा हो रही हैं। दरअसल यह मामला हमारे सिस्टम के लिए एक टेस्ट केस बन गया है। यह जैसे–जैसे आगे बढ़ा, कानून की तमाम पेचीदगियां सामने आने लगीं। आजादी के 60–70 साल बाद महसूस किया गया कि ऐसे जघन्य मामलों में हमारा कानून कितना बेबस है। दोषियों ने 16 दिसंबर 2012 की रात करीब 9 बजे निर्भया से चलती बस में गैंग रेप किया और तमाम दरिंदगी की। बाद में निर्भया ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। उसके बाद देश में लोगों का जबर्दस्त गुस्सा फूटा। लेकिन मुजरिम अभी तक फांसी के तख्त पर नहीं पहुंच पाए हैं क्योंकि कानूनी उपचार अभी बाकी हैं।

बदली गई परिभाषा

निर्भया के गुनहगारों के खिलाफ गैंग रेप और मर्डर का केस दर्ज किया गया। तब के कानून के अनुसार रेप में अधिकतम उम्रकैद की सजा का प्रावधान था। फिर केंद्र सरकार ने रेप लॉ में बदलाव किए और रेप को नए सिरे से परिभाषित

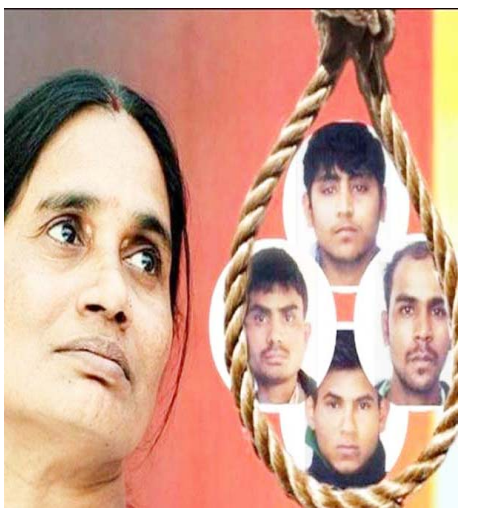

किया गया। बलात्कार के कारण विक्टिम मरणासन्न अवस्था में पहुंच जाए तो फांसी की सजा का प्रावधान किया गया, साथ ही कहा गया कि गैंग रेप में अधिकतम ताउम्र जेल होगी। साथ ही दूसरी बार रेप के लिए फांसी का प्रावधान किया गया। इसी केस के बाद जूवनाइल जस्टिस (जेजे) एक्ट भी बदलाव हुए क्योंकि उसमें कानूनी गैप महसूस हुआ। दरअसल निर्भया केस का एक अपराधी अवयस्क था और जेजे एक्ट में प्रावधान था कि अपराध चाहे कितना भी भयानक हो, 18 साल से कम उम्र के आरोपी को जेल नहीं भेजा जा सकता, उसे तीन साल सुधार गृह में रखा जा सकता है। इस केस के बाद जेजे एक्ट में प्रावधान किया गया कि अगर नाबालिग की उम्र 16 साल से 18 साल के बीच हो और उसने जघन्य अपराध किया हो तो मामले में उसका केस सेशन कोर्ट में चलाया जा सकता है।

निर्भया केस की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक का गठन किया गया और 9 महीने के भीतर फांसी की सजा सुना दी गई। मामला हाई कोर्ट पहुंचा तो वहां भी गुनहगारों की अर्जी छह महीने में खारिज हो गई। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में 15 मार्च 2014 को ही अर्जी दाखिल कर दी गई। लेकिन वहां दो साल तक मामला पेंडिंग रहा। इस दौरान अभियोजन पक्ष यानी दिल्ली पुलिस की ओर से जल्द सुनवाई के लिए गुहार लगाई जानी चाहिए थी लेकिन वह गुहार आखिर में निर्भया के पिता की ओर से लगाई गई। 4 अप्रैल 2016 से सुनवाई शुरू हुई। सुप्रीम कोर्ट ने 5 मई 2017 को चारों गुनहगारों की फांसी की सजा बरकरार रखी और अर्जी खारिज कर दी। 9 जुलाई 2018 को तीन की रिव्यू पिटिशन भी खारिज कर दी गई। लेकिन फिर भी मामला कानूनी दांव–पेच में उलझा रहा।

सूडोकु नवताल-5249

मध्यम

8		4	3	9	7	5		6
3					2			
		7	6	5				4
9	6		5			1		7
5		1	4		9	8		2
4		8					5	3
2				6	1	4		
			7					8
7		9	8	3	5	6		1

Jagrutidaar.com, Bangalore

- प्रत्येक पंक्ति में 1 से 9 तक के अंक भरे जाने आवश्यक हैं.
- प्रत्येक आड़ी और खड़ी पंक्ति में एवं 3×3 के वर्ग में किसी भी अंक की पुनरावृत्ति न हो इसका विशेष ध्यान रखें.
- पहले से मौजूद अंकों को आप हटा नहीं सकते.
- पहेली का केवल एक ही हल है.

सूडोकु नवताल -5248 का हल

7	8	4	9	5	2	6	1	3
9	6	2	4	3	1	8	5	7
1	3	5	7	8	6	2	4	9
4	2	3	6	1	5	9	7	8
8	5	9	2	4	7	1	3	6
6	7	1	3	9	8	4	2	5
3	1	7	8	6	4	5	9	2
5	9	6	1	2	3	7	8	4
2	4	8	5	7	9	3	6	1

अपना ब्लॉग

गांधी के सिद्धांत आप्रसंगिक

मोहन। यह सच है कि भाजपा का जन्म राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के आचार विचारों से ही हुआ है। क्या संघ के पूर्व संस्थापकों ने कभी गांधी टोपी को नहीं अपनाया? अगर अपनाया है तो फिर आज की भाजपा की पीढ़ी इससे गुरेज क्यों कर रही है? क्यों भाजपा शासित राज्यों में सरकारी नुमाईंदों को गांधी टोपी अनिवार्य नहीं की जा रही है। कारण साफ है कि आज की युवा पीढ़ी की नजरों में गांधी के सिद्धांत आप्रसंगिक हो चुके हैं। युवाओं के पायोनियर (अगुआ) बन चुके कांग्रेस के राहुल गांधी भी किसी कार्यक्रम में अगर जरूरत पड़ती है तो गांधी टोपी को सर पर महज औपचारिकता के लिए पहन लेते हैं, फिर मनमोहक मुस्कान देकर इसे उतारकर अपने पीछे वाली कतार में बैठे किसी नेता को पकड़ा देते हैं। फिर अपनी उंगलियों से राहुल अपने बाल संवारते नजर आ जाते हैं। आज केंद्र या सूबाई मंत्री मण्डल का एक भी सदस्य गांधी वादी विचारधारा के प्रहसन के लिए ही सही गांधी टोपी को नही धारण करता नजर आता है।